FORM No III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर मुकाम अजमेर

तेजपाल गोरा व अन्य बनाम रतना व अन्य

किस्म मुकदमा : अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 151 /2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
15.12.2025	वादीगण ने यह वाद जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया है। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 10.02.2026 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर	4493-4508 31.12.25
28/1/26	वकील वादी एवं स्वयं वादी उप०। वकील वादी के प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 जा०दी० वास्ते डिग्री करने व शीघ्र सुनवाई पर पत्रावली हमारे तलब करने पर आज पेश हुई। वकील वादी/प्रार्थी के निवेदन पर उक्त डिग्री प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य आपसी रिश्तेदारों से राजीनामा हो चुका है इस कारण अब वादीगण कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं, ना ही वाद को आगे चलाना चाहते हैं। फलस्वरूप उक्त वाद को आगे नहीं चलाने से डिग्री किया जाना न्यायहित में आवश्यक है बाबत! प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए वाद को इसी स्तर पर आदेश डिग्री दाखिल दफ्तर निरस्त करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अपने कथनों की पुष्टि में वादी ने अपने हस्ताक्षर आदेशिका पर हस्ताक्षर अंकित किए। वादी को उनके वकील श्री मोहम्मद इकबाल ने पहचान कर आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किए। प्रार्थना-पत्र में लिखित कथनों एवं सुनवाई के दौरान व्यक्त कथनों/तथ्यों पर मनन किया। चूंकि पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है प्रस्तुत वाद में फैसले की आवश्यकता नहीं होने से न्यायहित में प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इसी स्तर पर इसी कदर से डिग्री किए जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर रजि. से कमती।	अंकेय Identified by me 28.1.26

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर